मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेन्सी क्षेत्र, इंदौर

विज्ञापन क्रमांक 03/परीक्षा/2010/29.03.2010 **ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 02.05.2010**

महत्वपूर्ण

1. आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन स्वीकार किये जायेंगे।
2. आवेदन पत्र दिनांक 02.04.2010 (दोपहर 12.00) से 02.05.2010 (रात्रि 12.00 बजे) तक www.mponline.gov.in , www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर भरे जा सकते हैं।

एक- भारत के नागरिकों तथा भारत के संविधान के तहत मान्य अन्य श्रेणियों के आवेदकों से **मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग** के अन्तर्गत निम्न पद हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं:-

पद	पद का नाम	कुल पद	रिक्तियों की वर्गवार संख्या				रिक्तियों में से वर्गवार महिलाओं के लिये आरक्षित पद				विकलांग आरक्षण	भूतपूर्व सैनिक	अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता
			अना.	अनु. जाति	अनु.-जनजाति	अ.पि.व.	अना.	अनु.-जाति	अनु.-जनजाति	अ.पि.व.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03.	कराधान सहायक Taxation Assistant	175	88	28	35	24	26	09	10	07	10 अस्थिबाधित	17	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक उपाधि।

टीप- (i) आवेदक के पास उपर्युक्त अर्हताएं अंतिम तिथि तक होना चाहिये। आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद किसी भी दिनांक को उक्त अर्हताएं, अर्जित करने वाले आवेदक विज्ञापित पदों के लिये विचारित होने की पात्रता नहीं रखेंगे।

(ii) शासन द्वारा पदों की संख्या का पुनरीक्षण करने पर इस संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।

(iii) चयनित आवेदक की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जाएगी।

दो पद का विवरण

(अ) पद का नाम	:	कराधान सहायक (Taxation Assistant)
(ब) विभाग का नाम	:	वाणिज्यिक कर विभाग, मध्यप्रदेश शासन
(स) श्रेणी	:	कार्यपालिक तृतीय श्रेणी
(द) पद स्थिति	:	अस्थायी
(इ) वेतनमान	:	रु. 5200-20200+2800/- ग्रेड पे तथा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।
(ज) अर्हता	:	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक उपाधि।
(फ) कर्तव्य	:	कर निर्धारण/टैक्स ऑडिट संबंधी कार्यों में सहयोग।

टीप -संबंधित उपाधि शासन द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था की होना चाहिए।

तीन 1. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित पद केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित है। छत्तीसगढ़ सहित अन्य प्रदेशों के मूल निवासी ऐसे आवेदक जो अपने मूल निवास के राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्य है, आरक्षण हेतु पात्र नहीं है। उन्हें अनारक्षित पदों हेतु विचारित किया जायेगा।

2. मध्यप्रदेश के बाहर के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार अपना वर्ग अनारक्षित लिखें।

चार आयु सीमा- 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो परंतु 30 वर्ष पूर्ण न की हो। **आयु संगणना तिथि 01.01.2011 होगी।**

पाँच मध्यप्रदेश के मूल निवासियों हेतु अधिकतम आयुसीमा 35 वर्ष होगी।
आयु सीमा में दी गई अन्य छूटों के लिये **परिशिष्ट-एक** देखें।
मध्यप्रदेश शासन के स्थायी, अस्थायी वर्कचार्ज्ड या कांटिजेंसी पेड कर्मचारी तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में नियोजित समस्त श्रेणी के कर्मचारियों (महिला कर्मचारी भी) के लिए अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष निर्धारित है। (सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करें)। ऐसे आवेदकों को परिशिष्ट-1 (एक) में अंकित उक्त छूट के अतिरिक्त अन्य किसी भी छूट का लाभ प्राप्त नहीं होगा परंतु परिशिष्ट-1 (दो) प्रोत्साहन स्वरूप दी गई छूटों में से अधिकतम लाभ वाले किसी एक छूट का लाभ तत्संबंधी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर देय होगा।

छः मध्यप्रदेश सिविल सेवाएं (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के अन्तर्गत अनर्हता -

अ. कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिये नियत की गयी न्यूनतम आयु (पुरुष हेतु 21 वर्ष तथा महिला हेतु 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

ब. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।
परंतु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये निरर्हित नहीं होगा।

सात महत्वपूर्ण-यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि, वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जाँच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजें। लिखित परीक्षा में सम्मिलित किये जाने या साक्षात्कार के लिये आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जायेगी।

आठ अधिवार्षिकी आयु- 60 वर्ष

नौ चयन प्रक्रिया- उपरोक्त पदों पर अंतिम चयन लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार के आधार पर होगा। लिखित परीक्षा में प्राप्तांक के आधार पर गुणानुक्रम में प्रत्येक श्रेणी के आवेदकों को पदों की संख्या के 3 गुणा के अनुपात में आमंत्रित किया जाएगा। लिखित परीक्षा में सफल होने के लिये प्रत्याशियों को कम से कम 40 प्रतिशत अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा। मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग तथा विकलांग प्रत्याशियों को (शासन के परिपत्र क्रमांक एफ. 8-5/2004/आ.प्र./एक दिनांक 31.3.2005 में विहित प्रावधान के अनुसार) अंकों में दस प्रतिशत की छूट दी जाएगी इस प्रकार उनके लिये लिखित परीक्षा में कम से कम 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। साक्षात्कार में अनुपस्थित रहने वाले आवेदकों को चयन के लिये अनर्ह माना जायेगा। साक्षात्कार के लिये आवेदकों को बुलाने के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। अर्हताधारी आवेदकों को व्यक्तिगत रूप से साधारण डाक द्वारा पत्र भेजकर सूचित किया जाएगा। आयोग की परीक्षा प्रणाली में पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं है। इस विषय में प्राप्त अभ्यावेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। **परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम हेतु परिशिष्ट-3 देखें।**

दस परीक्षा की तिथि - 06.06.2010

ग्यारह परीक्षा केन्द्र - लिखित परीक्षा इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर तथा रीवा स्थित परीक्षा केन्द्रों पर दो सत्रों में आयोजित की जायेगी। परीक्षार्थियों की संख्या तथा प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से परीक्षा केन्द्रों की संख्या कम की जा सकती है।

बारह आवेदन प्रक्रिया - उक्त पद हेतु आवेदन पत्र मात्र इन्टरनेट के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जा सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी हेतु परिशिष्ट-2 का अवलोकन करें।

तेरह प्रवेश पत्र प्राप्ति प्रक्रिया - अर्हताधारी आवेदक अपने प्रवेश पत्र www.mponline.gov.in अथवा www.mppsc.com या www.mppsc.nic.in से डाउनलोड कर सकेंगे, पृथक से प्रवेश पत्र नहीं भेजे जायेंगे। प्रवेश पत्रों की उपलब्धता की सूचना उक्त वेबसाइटों के अतिरिक्त समाचार पत्रों से भी दी जायेगी। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने हेतु आवेदक को उसके आवेदन पत्र क्रमांक तथा जन्मतिथि की प्रविष्टि करनी होगी।

चौदह प्रत्येक उम्मीदवार का केवल एक ही आवेदन पत्र स्वीकार किया जायेगा। किसी उम्मीदवार के एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने पर उसके सभी आवेदन पत्र आयोग द्वारा निरस्त किए जा सकते हैं।

पन्द्रह यदि आवेदक के पते में कोई परिवर्तन होता है तो पता परिवर्तन हेतु लिखित आवेदन पत्र आयोग को तत्काल प्रस्तुत करें। यद्यपि आयोग पता परिवर्तन के अनुसार कार्यवाही करने का पूरा प्रयास करता है, किंतु इस मामले में आयोग कोई उत्तरदायित्व नहीं ले सकता है।

सोलह आवेदक विस्तृत जानकारी हेतु निम्न परिशिष्ट देखें -

(i) आयु सीमा की छूटें **परिशिष्ट-एक**

(ii) आवेदन पत्र भरने तथा अन्य निर्देशों एवं जानकारियों हेतु **परिशिष्ट-दो**

(iii) परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम **परिशिष्ट-तीन**

परिशिष्ट-1

(एक) उच्चतम आयु सीमा में छूटें

(1) भारत शासन द्वारा मध्यप्रदेश के लिये अधिसूचित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जावेगी।

(2) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम 1997 के नियम 4 के अनुसार समस्त महिला अभ्यार्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जायेगी। यह छूट आरक्षित वर्ग की आवेदिकाओं तथा विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिलाओं को उन्हें देय 05 वर्ष की छूट के अतिरिक्त होगी।

(3) विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिला आवेदक को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की अतिरिक्त विशेष छूट देय होगी।

टीपः- ऐसी महिला आवेदन के लिये पात्र नहीं होगी, जिसकी सब छूटें जोड़कर अधिवार्षिकी आयु हो जाये। (पद की अधिवार्षिकी आयु 60 वर्ष है)

(4) विकलांग आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष छूट देय होगी। यह छूट आरक्षित वर्ग के विकलांग आवेदकों को उन्हें देय 5 वर्ष की छूट के अतिरिक्त होगी। कराधान सहायक के पद हेतु 40 प्रतिशत या अधिक अस्थिबाधित विकलांग ही पात्र होंगे। अन्य विकलांग श्रेणी के आवेदक पद हेतु विचारित नहीं किये जायेंगे।

(5) मध्यप्रदेश शासन के स्थायी, अस्थायी वर्क चार्ज्ड या कांटिजेंसी पेड कर्मचारियों के लिये अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष होगी। यह छूट परियोजना कार्यान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिये भी स्वीकार्य होगी।

(6) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3-14/93/3/1 दिनांक 10.5.1993 अनुसार राज्य के निगम, मंडल, परिषद, नगर निगम, नगर पालिका आदि स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारियों के लिये अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष है।

(7) स्वयंसेवी नगर सैनिकों/वालंटरी होमगार्ड एवं नगर सेना के नॉन कमीशन्ड अधिकारियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की गई सेवा की काल अवधि तक की छूट आठ वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए दी जाएगी, किंतु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(8) ऐसा अभ्यर्थी, जो छटनी किया गया सरकारी सेवक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि (भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवा का योग हो) कम कराने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, परंतु इसके

परिणामस्वरूप उसकी आयु निर्धारित आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये।

स्पष्टीकरण-

छटनी किये गये सरकारी सेवक से तात्पर्य है ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य या किसी भी संगठक इकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में लगातार कम से कम छः मास तक रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो।

(9) ऐसा अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई संपूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, किंतु उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये।

(10) एन.सी.सी. में 1 जनवरी, 1963 और उसके आगे पूर्णकालिक केडेट/अनुदेशक (इन्स्ट्रक्टर) की हैसियत से भर्ती किये गये व्यक्ति एन.सी.सी. से निर्मुक्त होने पर उनकी प्रारंभिक/बढ़ाई गयी पदावधि की समाप्ति पर, शासकीय सेवा के सिविल पदों में नियोजन के प्रयोजन के लिये छटनी किये गये सरकारी कर्मचारी समझे जायेंगे और उनकी वास्तविक आयु में से, उनके द्वारा एन.सी.सी. में दी गयी सेवा की कालावधि की कटौती को अनुज्ञात किया जा सकेगा और यदि पारिणामिक आयु विशिष्ट पद की विहित आयु सीमा में तीन वर्ष से अधिक न होती हो तो यह माना जायेगा कि वे उस पद पर नियुक्ति की अधिकतम आयु के संबंध शर्तों को पूरा करते हैं, बशर्ते वे सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक 1134-सी-आर-88-1-(तीन)-66, दिनांक 27.5.1966 में अंतर्विष्ट अनुदेशों के अनुसार आवश्यक प्रमाण पत्र रखते हों।

(दो) प्रोत्साहन स्वरूप दी गई छूटें

(1) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रीनकार्डधारी आवेदकों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी-3-40/आ/84/(3) 1, दिनांक 11 जनवरी, 1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में दो वर्ष की छूट दी जायेगी।

(2) आदिम जाति, हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तर्जातीय विवाह योजना के अन्तर्गत पुरस्कृत दंपतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/10/85/3/1, दिनांक 29.6.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में पाँच वर्ष की छूट दी जायेगी।

(3) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/18/85/3/1, दिनांक 3.9.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में पाँच वर्ष की छूट दी जावेगी।

टीप- (1) परिशिष्ट-एक (एक) में दर्शायी गई छूटों के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई आवेदक शासन द्वारा बिंदु क्रमांक (एक) के अन्तर्गत भिन्न-भिन्न वर्गों के लिये निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट के लाभ के लिये एक से अधिक आधार रखता है तो उसे अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार के लिये निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ ही प्राप्त होगा।

(2) परिशिष्ट-एक (दो) के अन्तर्गत प्रोत्साहनस्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों/योजनाओं के अन्तर्गत दी गई छूटों में से यदि कोई आवेदक एक से अधिक छूटों का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में सर्वाधिक अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिये देय छूट मिलेगी। यह छूट परिशिष्ट एक (एक) में दी गई छूट के अतिरिक्त होगी।

(3) मध्यप्रदेश शासन के स्थायी, अस्थायी वर्कचार्ज्ड या कांटिजेंसी पेड कर्मचारी तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में नियोजित समस्त श्रेणी के कर्मचारियों (महिला कर्मचारी भी) के लिए अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष निर्धारित है। सक्षण अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करें। ऐसे आवेदकों को परिशिष्ट-एक (एक) में अंकित उक्त छूट के अतिरिक्त अन्य किसी भी छूट का लाभ प्राप्त नहीं होगा परंतु परिशिष्ट-एक (दो) प्रोत्साहन स्वरूप दी गई छूटों में से अधिकतम लाभ वाले किसी एक छूट का लाभ तत्संबंधी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर देय होगा।

नोट- उपरोक्त परिशिष्ट-एक (एक) परिशिष्ट-एक (दो) में उल्लेखित उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता तत्संबंधी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगी।

परिशिष्ट-2

ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं अन्य जानकारी

1. कराधान सहायक के पद के लिये ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश निम्नानुसार हैं :-

1. उपरोक्त पदों हेतु आवेदन पत्र निम्न वेबसाइटों पर भरे जा सकेंगे-
   1. www.mponline.gov.in
   2. www.mppsc.com
   3. www.mppsc.nic.in

2. आवेदक mponline के स्थापित अधिकृत कियोस्कों के माध्यम से ऑनलाइन फार्म भरकर कियोस्क पर ही परीक्षा शुल्क का नगद भुगतान कर रसीद प्राप्त कर सकते हैं। mponline के अधिकृत कियोस्कों की सूची www.mponline.gov.in, www.mppsc.com, www.mppsc.nic.in पर पता एवं फोन नंबर सहित उपलब्ध है।

3. आवेदक स्वयं अपने घर पर या इंटरनेट कैफे के माध्यम से भी ऑनलाइन फार्म भरकर परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर तथा यूनियन बैंक के नेट बैंकिंग सुविधा धारक आवेदक नेट बैंकिंग द्वारा भी शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।

4. आवेदक फार्म भरने के पूर्व अपने अद्यतन फोटोग्राफ की पासपोर्ट साइज की तथा हस्ताक्षर की स्केन फाइल तैयार रखें जिसे उन्हें ऑनलाइन फार्म भरते समय संलग्न करना होगा। www.mponline.gov.in के KIOSK पर स्केनिंग की सुविधा उपलब्ध है जिसका उपयोग किया जा सकता है।

5. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय ध्यान रखना चाहिए कि, वह उक्त वेबसाइट पर दिये गये ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रत्येक जानकारी अच्छी तरह समझकर सावधानीपूर्वक सही रूप में जिस प्रकार चाहा गया है उसी प्रकार जानकारी भरें।

6. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय ध्यान रखना चाहिए कि शैक्षणिक योग्यता संबंधी जानकारी में दिये गये निर्धारित स्थान पर सही पूर्णांक, प्राप्तांक, श्रेणी, उत्तीर्ण करने का वर्ष औसत प्रतिशत एवं अन्य जानकारी जो ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गयी है को सही रूप से अंकित करें।

7. आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया में यह समझ लिया गया है कि, आवेदक द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन फार्म में अंकित की जा रही है वही प्रमाणिक जानकारी है अतः ऑनलाइन आवेदन पत्र Submit करने के पूर्व आवेदक अपना आवेदन पत्र सावधानीपूर्वक भलीभाँति पढ़ एवं समझकर तथा भरी गई जानकारी से स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात् ही आवेदन Submit करें।

8. आवेदन पत्र Submit करने के बाद खुलने वाले Pop up Window में आवेदक को उसके आवेदन के सफलतापूर्वक जमा होने की सूचना मिलेगी जिसमें उसके आवेदन पत्र क्रमांक का भी उल्लेख होगा। आवेदक उक्त सूचना को प्रिंट कर अपने पास रखें तथा भविष्य में आयोग से किए जाने वाले पत्र व्यवहार में आवेदन पत्र क्रमांक का उल्लेख करें।

9. आवेदक यह सुनिश्चित करें कि, उसके द्वारा आवेदन पत्र में दर्ज हस्ताक्षर ही वह परीक्षा हाल की उपस्थिति सूची, साक्षात्कार की उपस्थिति सूची तथा आयोग के समस्त पत्र व्यवहार में करें। विभिन्न अभिलेखों के हस्ताक्षरों में समानता न होने पर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।

2. परीक्षा एवं आवेदन शुल्क

(अ) मध्यप्रदेश के ऐसे मूल निवासी आवेदक जो मध्यप्रदेश के लिए अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में आते हैं, के लिए आवेदन शुल्क रुपये 30/- तथा परीक्षा शुल्क रुपये 60/- कुल रुपये 90/- देय होगा।

(ब) विकलांग श्रेणी के आवेदकों के लिये आवेदन शुल्क रु. 30/- तथा परीक्षा शुल्क रु. 60/- कुल रुपये 90/- देय होंगे। इस पद हेतु मात्र 40% या अधिक अस्थिबाधित विकलांग ही आवेदन कर सकेंगे।

(स) शेष सभी श्रेणी के एवं मध्यप्रदेश के बाहर के निवासी आवेदकों के लिए आवेदन शुल्क रुपये 60/- तथा परीक्षा शुल्क रुपये 120/- कुल रुपये 180/- देय होंगे।

उक्त शुल्क के साथ प्रत्येक आवेदक को रु. 35/- पोर्टल शुल्क देय होगा।

मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अस्थिबाधित विकलांग श्रेणी के आवेदकों के लिए कुल शुल्क	शेष सभी श्रेणी तथा मध्यप्रदेश के बाहर के निवासी आवेदकों के लिए कुल शुल्क
90/- रुपये	180/- रुपये
उपरोक्त शुल्क के अतिरिक्त पोर्टल शुल्क 35/- रुपये अतिरिक्त देय होगा	

आवेदन शुल्क तथा पोर्टल शुल्क के अतिरिक्त किसी भी रूप में अन्य कोई राशि का भुगतान नहीं करना है। यदि कियोस्कधारक द्वारा अतिरिक्त राशि की मांग की जाती है तो एम.पी. ऑनलाइन से निम्न दूरभाष नंबरों पर संपर्क कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

दूरभाष क्रमांक (0755) 2418599, 2418600, 2418706,
मोबाइल : तनमय तिवारी 93000282449
राजेश गुर्जर 9009841980, अनिल सेठी 9977992395

टीप आयोग को प्राप्त शुल्क केवल निम्नानुसार परिस्थितियों में ही आवेदक को वापस किया जायेगा :-
01. आयोग द्वारा विज्ञापित विज्ञापन निरस्त हो जाये अथवा
02. किसी कारण से परीक्षा या चयन की कार्यवाही निरस्त कर दी जाये।

नोटः- यदि आपको ऑनलाइन फार्म भरने में कोई समस्या आती है तो नीचे दर्शाये गये दूरभाष नंबरों पर तत्काल संपर्क करें:-

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, रेसीडेंसी क्षेत्र, इंदौर
(0731) 2701624, 2701983
एम.पी ऑनलाइन लिमिटेड, निरूपम शॉपिंग माल, द्वितीय तल, अहमदपुर, होशंगाबाद रोड, भोपाल-422026
फोन : (0755) 2418599, 2418600, 2418706, 2418617, कॉल सेंटर- 18002335343 तथा 155343 (टोल फ्री)
मोबाइल : (तकनीकी समस्या के लिए) विपुल- 9424719269, तनमय तिवारी- 3900282449 एवं राजेश गुर्जर- 9009841980

3. आवेदन की अंतिम तिथि

ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की **अंतिम तिथि 02.05.2010** है। अंतिम तिथि को रात्रि 12.00 के बाद आवेदन पत्र जमा करने की सुविधा बंद कर दी जायेगी।

4. आवेदक को ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ कोई प्रमाण पत्र लगाने की आवश्यकता नहीं है।

साक्षात्कार के समय निम्न प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा -

आयु संबंधी प्रमाण के लिये- केवल हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी अथवा मैट्रिक्यूलेशन की अंकसूची/प्रमाण-पत्र जिनमें जन्मतिथि का स्पष्ट उल्लेख हो।

शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण पत्र- हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी तथा उसके बाद की उन समस्त परीक्षाओं की जिन्हें आवेदक ने उत्तीर्ण किया है। समस्त वर्षों/सेमेस्टर्स की अंकसूचियाँ।

जाति के प्रमाण पत्र-

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का स्थायी जाति प्रमाण-पत्र अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जो कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण पत्र देने के लिए अधिकृत है अथवा उच्च अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें। यदि आवेदन पत्र के साथ वैध प्रावधिक जाति प्रमाण (जो कि आवेदन की अंतिम तिथि को छः माह के भीतर की अवधि में जारी हुआ हो) संलग्न किया जाता है तो साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि आवेदक साक्षात्कार के समय स्थायी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जायेगी जिसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा। इस संबंध में आवेदक का कोई वचनपत्र अथवा अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए उसे नस्तीबद्ध किया जायेगा एवं आयोग इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार नहीं करेगा। **विवाहित महिलाओं का अपने नाम के साथ पिता के नाम उल्लेखित जाति प्रमाण पत्र ही मान्य किया जायेगा। अन्य पिछड़ा वर्ग की विवाहित आवेदिकाएँ जाति प्रमाणन हेतु पिता के नाम युक्त स्थायी जाति प्रमाणपत्र के साथ ही विवाह के पश्चात् क्रीमीलेयर में न आने के प्रमाणस्वरूप अपने पति के नाम युक्त स्थायी जाति प्रमाण पत्र भी संलग्न करें। (प्रमाण पत्र की फोटोप्रति संलग्न करें)। अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमीलेयर में न आने का प्रमाण पत्र भी आवश्यक है अर्थात् जिन प्रमाण पत्रों में आय संबंधी कंडिका कटी होगी या नहीं होगी वे मान्य नहीं होंगे। विवाहित महिलाएँ विवाहोपरांत नाम/उपनाम परिवर्तन (पिता/पति) का शपथ पत्र संलग्न करें।**

विकलांगता प्रमाण पत्र-

विकलांग श्रेणी के आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-01-सत्रह-मेडि-2, दिनांक 9.1.2009 द्वारा गठित जिला चिकित्सा मंडल से प्राप्त नवीनतम (Latest) प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है। आवेदक लिफाफे पर विकलांग भी लिखे। (इस पद हेतु अस्थिबाधित विकलांगता का प्रतिशत 40 प्रतिशत या अधिक होने पर ही विकलांग श्रेणी के आवेदकों को देय छूटों का लाभ प्राप्त होगा)

तदर्थ रूप से शासन की सेवा में कार्यरत आवेदकों को तत्संबंधी प्रमाण-पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

परिशिष्ट-एक की कंडिका-(एक-3) के अन्तर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिये विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिला आवेदकों द्वारा सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट अथवा जिला मजिस्ट्रेट का प्रमाण-पत्र।

परिशिष्ट-एक की कंडिका-(एक-5 से 10 तक) के अन्तर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिये नियोक्ता अधिकारी/सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र।

परिशिष्ट-एक की कंडिका-(दो-1) के अन्तर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट के लिये ग्रीनकार्ड।

परिशिष्ट-एक की कंडिका-(दो-2) के अन्तर्गत आयु सीमा में छूट के लिये शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण पत्र।

परिशिष्ट-एक की कंडिका-(दो-3) के अन्तर्गत आयु सीमा में छूट के लिये विक्रम पुरस्कार प्राप्त होने का प्रमाण पत्र।

5. जो व्यक्ति पहले से सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहा हो या किसी काम के लिये विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त कर्मचारी हो, अथवा जो लोक सेवा उद्यमों के अधीन कार्यरत हो, उनको यह परिवचन (Undertaking) प्रस्तुत करना होगा कि, उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि, उन्होंने इस परीक्षा के लिये आवेदन किया है। उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिये आवेदन करने/परीक्षा में बैठने के संबंध में अनुमति रोकते हुये कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन पत्र अस्वीकृत/उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।

6. **अनुशासनिक निर्देश -**

ऐसे आवेदक को अपराधिक अभियोजन के लिये दोषी ठहराया जायेगा जिसे आयोग से निम्नलिखित के लिये दोषी पाया गया हो -

1. जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिए लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन अभिप्राप्त किया हो; या
2. प्रतिरूपण किया हो; या
3. किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण कराया हो; या
4. कूटरचित अभिलेख या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किये हों, जिनमें फेरबदल किया गया हो; या
5. ऐसे कथन दिए हों जो गलत और झूठे हों या जिनमें चयन के किसी भी प्रक्रम पर सारभूत जानकारी छिपायी हो; या
6. परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो; या
7. परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो; या
8. परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारीवृंद को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुंचाई हो; या
9. उनके द्वारा प्रवेश पत्र में उम्मीदवारों के लिए दिए गए किसी भी अनुदेशों या अन्य निर्देशों जिनमें परीक्षा संचालन में लगे केन्द्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारीवृंद द्वारा मौखिक रूप से दिए गए अनुदेश सम्मिलित हैं, अतिक्रमण किया हो; या
10. परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से किया गया दुर्व्यवहार,

अपराधिक अभियोजन के लिए उसे उत्तरदायी ठहराने के अलावा -

(क) आयोग द्वारा उसे उस परीक्षा के लिए, जिसके लिए वह उम्मीदवार है, निरर्ह ठहराया जाने का दायी हो सकेगा और/या

(ख) उसे या तो स्थाई रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए-
- (एक) आयोग द्वारा, ली गई किसी परीक्षा से या उनके द्वारा किये जाने वाले चयन से;
- (दो) राज्य शासन द्वारा उसके अधीन नियोजन से विवर्जित किया जा सकेगा; और

(ग) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपर्युक्त नियमों के अधीन उस पर अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकेगी किन्तु इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक अधिरोपित नहीं की जाएगी जब तक कि -
- (एक) उम्मीदवार को, लिखित में ऐसा अभ्यावेदन जो वह इस संबंध में देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया हो, और
- (दो) उम्मीदवार द्वारा उसे अनुज्ञप्त की गई कालावधि के भीतर प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार न किया गया हो।

7. **अनर्हताएँ -**

ऐसे आवेदकों के आवेदन पत्र निरस्त किए जाएंगे जिन्हें किसी परीक्षा अथवा चयन से उपरोक्त दर्शित प्रावधानों के तहत विवर्जित किया गया है।

8. **प्रवेश पत्र**

01 किसी भी उम्मीदवार को लिखित परीक्षा में तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा। जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश पत्र न हो।

02 प्रवेश पत्र व्यक्तिगत रूप से नहीं भेजे जायेंगे। प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट www.mppsc.com एवं www.mppsc.nic.in तथा www.mponline.gov.in पर उपलब्ध होंगे। आवेदकों को वेबसाइट से ही परीक्षा के प्रवेश पत्र प्राप्त करना होंगे। इस संबंध में किया गया कोई भी पत्राचार मान्य नहीं होगा। एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क से प्रवेश पत्र प्राप्ति हेतु 5/- रुपये शुल्क देय होगा।

03 यदि प्रवेश पत्र प्राप्त करने में कोई समस्या आती है तो आयोग से संपर्क करें।

04 यदि किसी आवेदक का नाम नॉमिनल रोल में सम्मिलित नहीं है परन्तु उसे आयोग की ओर से प्रवेश पत्र प्राप्त हो चुका है तो वह केन्द्राध्यक्ष से मिलकर अपना प्रवेश पत्र प्रस्तुत करें। केन्द्राध्यक्ष संतुष्ट होने पर उसे उसी केन्द्र पर परीक्षा में सम्मिलित करेंगे।

9. **यात्रा व्यय का भुगतान -**

1. मध्यप्रदेश के ऐसे मूल निवासियों को जो कहीं सेवारत न हो तथा मध्यप्रदेश शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को मध्यप्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अधीन यात्रा व्यय का नगद भुगतान वापसी यात्रा के पूर्व परीक्षा केन्द्र पर केन्द्राध्यक्ष द्वारा किया जायेगा। आवेदकों को इसके लिये केन्द्राध्यक्ष को वांछित घोषणा पत्र भरकर देना होगा तथा यात्रा भत्ते की पात्रता से संबंधित आवश्यक सभी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होंगे। अतः वे मध्यप्रदेश के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण पत्र की स्वयं द्वारा प्रमाणित एक प्रतिलिपि घोषणा पत्र के साथ संलग्न करें तभी उन्हें यात्रा व्यय दिया जायेगा। ऐसे आवेदक अपने वर्तमान पते के निकटतम परीक्षा केन्द्र का ही चयन करें अन्यथा उन्हें यात्रा व्यय की पात्रता नहीं होगी।
2. साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले आवेदकों को यात्रा व्यय उपरोक्त नियमानुसार आयोग कार्यालय द्वारा दिया जायेगा।

सचिव

परिशिष्ट-3

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग
कराधन सहायक परीक्षा 2010
परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम

(1) परीक्षा योजना

चयन विधि :- अंतिम चयनफल लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में कुल प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर घोषित किया जावेगा।

अंक योजना :- लिखित परीक्षा हेतु कुल 450 अंक तथा साक्षात्कार हेतु कुल 50 अंक निम्नानुसार निर्धारित है :-

लिखित परीक्षा

प्रथम प्रश्नपत्र	**सामान्य अध्ययन**			150
	खंड- अ	सामान्य अध्ययन	75	
	खंड- ब	मध्यप्रदेश का सामान्य परिचय	75	
द्वितीय प्रश्नपत्र	**वाणिज्य**			300
		लिखित परीक्षा के कुल अंक		**450**
साक्षात्कार				50
		कुल अंक		**500**

प्रश्न पत्र योजना :-

(1) दोनों प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ (बहुविकल्प) प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प (A, B, C, D) होंगे। उत्तर पत्रक में संदर्भित प्रश्न क्रमांक के समक्ष स्थित उक्त विकल्पों में से सही विकल्प के गोले को परीक्षार्थी द्वारा **काले बालपाइंट पेन** से भरना होगा।

(2) प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन का होगा जिसमें दो खंड होंगे। प्रत्येक खंड से 1-1 अंक के 75 प्रश्न पूंछे जायेंगे। इस प्रकार प्रथम प्रश्नपत्र में कुल 150 प्रश्न होंगे तथा उसका पूर्णांक 150 होगा।

(3) द्वितीय प्रश्नपत्र वाणिज्य विषय का होगा जिसमें 2-2 अंकों के कुल 150 प्रश्न पूंछे जायेंगे। इस प्रकार इस प्रश्नपत्र का पूर्णांक 300 होगा।

(4) प्रत्येक प्रश्नपत्र की अवधि 2 घंटे की होगी। प्रश्नपत्र हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा।

उत्तीर्णांक :-

लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु आवेदक को प्रत्येक प्रश्नपत्र में 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। मध्यप्रदेश हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विकलांग श्रेणी के आवेदकों को जो मध्यप्रदेश के मूल निवासी हैं को लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर गुणानुक्रम में विभिन्न प्रवर्गो से भरी जाने वाली कुल रिक्तियों की संख्या के तीन गुना तथा समान अंक प्राप्त करने वाले आवेदक साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किये जायेंगे।

परीक्षा केन्द्र :

लिखित परीक्षा मध्यप्रदेश के पांच संभागीय मुख्यालयों में निर्धारित केन्द्रों पर आयोजित की जावेगी:- (1) इंदौर, (2) भोपाल, (3) जबलपुर, (4) ग्वालियर, (5) रीवा।

परीक्षार्थियों की संख्या तथा प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से परीक्षा केन्द्रों की संख्या कम की जा सकती है।

(2) पाठ्यक्रम

प्रथम प्रश्नपत्र
सामान्य अध्ययन

खंड - (अ)

1. **सामान्य विज्ञान एवं पर्यावरण**

सामान्य विज्ञान एवं पर्यावरण पर प्रश्नों में दैनंदिन (रोजमर्रा) अवलोकन एवं अनुभव से संबंधित प्रश्न जो किसी भी शिक्षित व्यक्ति द्वारा अपेक्षित है और जिन्होंने इन विषयों का विशेकष अध्ययन नहीं किया हो, सम्मिलित होंगे।

2. **राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं**

वर्तमान घटनाओं में प्रमुख राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के ज्ञान का परीक्षण किया जावेगा।

3. **भारत का इतिहास एवं स्वतंत्र भारत**

इतिहास में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक पहलुओं से संबंधित सामान्य ज्ञान के प्रश्न होंगे। राष्ट्रीय आंदोलन एवं स्वतंत्र भारत के विकास के प्रश्न भी पूछे जायेंगे।

4. **(क) भारत का भूगोल**

भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल के सामान्य ज्ञान के प्रश्न होंगे। इसमें भारतीय कृषि एवं प्राकृतिक संसाधनों का समावेश होगा तथा भारतीय जनांकिकीय एवं जनगणना से संबंधित प्रश्न होंगे।

(ख) विश्व की सामान्य भौगोलिक जानकारी।

5. **भारतीय राजनीति एवं अर्थव्यवस्था**

इसमें देश की राजनैतिक व्यवस्था एवं संविधान, पंचायती राज, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक विकास, चुनाव, राजनीतिक दलों, योजनायें, औद्योगिक विकास, विदेशी व्यापार, आर्थिक एवं वित्तीय संस्थाओं पर प्रश्न होंगे।

6. **खेलकूद**

मध्यप्रदेश, भारत, एशिया एवं विश्व में खेले जाने वाले प्रमुख खेलकूद एवं खेल प्रतियोगिताओं पुरस्कारों तथा व्यक्तित्वों से संबंधित प्रश्न होंगे।

7. **सामान्य मानसिक योग्यता**

संख्यात्मक योग्यता, तर्क, कूट, आंकडों का विश्लेषण एवं निष्कर्ष तथा सभ्यता संबंधी प्रश्नों का समावेश होगा।

8. **सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी**

इसमें अभिलक्षण, प्रयोग और शब्दावलियां, जैसे वेबसाइट, ऑनलाइन सर्च इंजिन, ई-मेल, वीडियो मेल, चेटिंग, वीडियो कान्फ्रेन्स, हेकिंग, क्रेकिंग, वायरस और सायबर अपराध से संबंधित प्रश्न सम्मिलित होंगे।

खंड - (ब)

मध्यप्रदेश का सामान्य परिचय

1. **भूगोल**

मध्यप्रदेश का सामान्य परिचय, क्षेत्र, भूस्वरूप एवं संरचना, भौतिक क्षेत्र तथा जलवायु।

2. **मध्यप्रदेश के प्राकृतिक संसाधन**
   1. खनिज संपदा
   2. वन संपदा एवं वन जीवन
   3. कृषि एवं पशुपालन : फसलों का क्षेत्रीय वितरण, कृषि का योजनाबद्ध विकास, हरित क्रांति, पशुधन का विकास।
   4. जल संसाधन : सिंचाई का विकास एवं सिंचाई परियोजनाएं।

3. **मानव संसाधन**

जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, शहरी एवं ग्रामीण जनसंख्या, साक्षरता एवं श्रमशक्ति।

4. **ऊर्जा संसाधन**

इसमें परंपरागत एवं अपरंपरागत ऊर्जा के संसाधन तथा उनके मानवीय जीवन में उपयोग से संबंधित प्रश्न होंगे।

5. **उद्योग**

इसमें प्रदेश के उद्योगों के प्रकार एवं आकार तथा उनके राज्य की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव से संबंधित प्रश्न होंगे।

6. **पर्यावरण**
पर्यावरण एवं उनके संरक्षण, प्रदूषण, प्राकृतिक आपदा तथा इनका मानवीय जीवन की गुणवत्ता पर होने वाले प्रभावों से संबंधित प्रश्न होंगे।

7. **योजनायें एवं मूल्यांकन**
इसमें पंचवर्षीय योजनाओं के अभी तक के विभिन्न पहलुओं, विभिन्न कार्यक्रमों जो शहरी एवं ग्रामीण विकास के संबंध में हो तथा आर्थिक योजनाओं के मूल्यांकन तथा देश के परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश की सापेक्षित स्थिति से संबंधित प्रश्न होंगे।

8. **मध्यप्रदेश की प्रशासनिक संरचना**
इसमें मध्यप्रदेश की विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों जैसे संभाग, जिला, तहसील एवं विकास खंडों का आपसी संबंध एवं प्रशासकीय संरचना से संबंधित अभ्यार्थियों के ज्ञान का परीक्षण करना होगा।

9. **ग्रामीण एवं शहीर प्रशासनिक संरचना**
पंचायती राज, नगर पालिका एवं नगर निगम की संरचना एवं प्रशासनिक ढांचे से संबंधित सामान्य ज्ञान के प्रश्न अभ्यार्थियों से पूछे जायेंगे।

10. **खेलकूद**
विविध खेलकूद के लिये संगठन, प्रबंधन एवं सुविधाओं से सबंधित अभ्यार्थियों की जागरूकता का परीक्षण करना होगा। इसमें मध्यप्रदेश के राजकीय पुरस्कारों, व्यक्तियों एवं शासकीय तथा अशासकीय संगठनों के योगदान से संबंधित प्रश्न होंगे।

11. **मध्यप्रदेश की संस्कृति, साहित्य, संगीत, नृत्य, कला एवं इतिहास**
1. संस्कृति :- प्रकृति प्रकार एवं मुख्य-मुख्य बातें तथा मानव जीवन पर उनके प्रभाव से संबंधित प्रश्न होंगे।
2. साहित्य :-
1. प्राचीन - कालिदास, भर्तहरि, भवभूति व वाणभट्ट।
2. मध्यकालीन - केशव पद्माकर, भूषण।
3. आधुनिक - पं. माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्राकुमारी चौहान, गजानन माधव 'मुक्तिबोध', बालकृष्ण शर्मा 'नवीन', भवानीप्रसाद मिश्र, हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, मूल्लारामोजी, डॉ. शिवमंगल सिंह सुमन तथा नंद दुलारे बाजपेयी।
4. लोक साहित्य - मध्यप्रदेश की बोलियां।

3. **संगीत एवं नृत्य परम्परा** :-
1. संगीत परम्परा - तानसेन, उस्ताद अलाउदीन खां, उस्ताद हाफिज अली खां, पंडित किशनराव, शंकर पंडित, राजाभैया पूछवाले, उस्ताद अमीर खां, कुमार गंधर्व महाराज चक्रधरसिंह, पंडित कार्तिकराम।
2. नृत्य परम्परा - लोक संगीत की प्रमुख शैलियां, प्रमुख लोक नृत्य।

4. **कला** :- सामान्य प्रवृत्ति के प्रश्नों में भित्ति चित्रकला, लोक चित्रकला, आधुनिक चित्रकला के घराने एवं प्रमुख चित्रकार शामिल होंगे। इससे प्रमुख लोक कलाओं एवं अन्य विभिन्न रंगमंचों से संबंधित प्रश्न भी होंगी।

5. **प्रमुख अनुसुचित जनजाति** :- प्रमुख अनुसूचित जनजातियों के नाम, अभिलक्षण, अधिवास, मुख्य मेले एवं तीज त्यौहार तथा सांस्कृतिक संरचना से संबंधित सामान्य ज्ञान के मूल्यांकन के लिये प्रश्न पूछे जायेंगे। इसमें म.प्र. शासन के द्वारा अनुसूचित जनजातियों के उत्थान से संबंधित कार्यक्रमों पर भी प्रश्न होंगे।

6. **संस्कृति के क्षेत्र में म.प्र. शासन के कार्यक्रम** :- अभ्यार्थियों से साहित्यिक अकादमियों एवं संस्थानों से संबंधित सामान्य ज्ञान के मूल्यांकन के लिये प्रश्न पूछे जायेंगे। संगीत तथा चित्रकला के विविध घराने से संबंधित तथा संस्कृति मेलों से संबंधित प्रश्न होंगे। साहित्य संगीत एवं ललितकलाओं में प्रमुख योगदान के लिये शासन द्वारा दिये जाने वाले विभिन्न पुरुस्कारों से संबंधित प्रश्न होंगे।

7. **पुरातात्विक विरासत** :- प्रमुख ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं पर्यटन स्थानों से संबंधित सामान्य ज्ञान के प्रश्न होंगे।

8. **मध्यप्रदेश की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि** :- मध्यप्रदेश का गठन, मध्यप्रदेश के प्रमुख राजवंशों एवं शासकों पर प्रश्न होंगे। इसमें स्वतंत्रता आंदोलन में मध्यप्रदेश के योगदान पर भी प्रश्न होंगे।

द्वितीय प्रश्नपत्र
वाणिज्य

1. **सैद्धांतिक लेखांकन**
प्रकृति, उद्देश्य, सिद्धांत, अवधारणायें, परम्परायें एवं सीमायें, लेखांकन की प्रक्रिया।

2. **व्यवहारिक लेखांकन**
समायोजनों सहित अंतिम लेखे, पूंजीगत-आयगत मदें, मूल्य-ह्रास, संचय-प्रावधान एवं विधियां।

3. **साझेदारी लेखे**
साझेदारी संलेख, प्रवेश, अवकाश ग्रहण, मृत्यु एवं विघटन।

4. **कम्पनी लेखे**
अंशों का निर्गमन, हरण, पुनर्निर्गमन, अधिकार (राइट) एवं वोनस अंशों का निर्गमन, ऋण पत्रों का निर्गमन एवं शोधन, अंतिम लेखे, प्रकाशित लेखों का विश्लेषण एवं विवेचना।

5. **लागत लेखे**
प्रकृति, उद्देश्य एवं महत्व, लागत के तत्व, लागत पत्रक, निविदा, लागत लेखों का वित्तीय लेखों से मिलान।

6. **अंकेक्षण**
प्रकृति, उद्देश्य, महत्व, अंकेक्षण कार्यक्रम, अंकेक्षक की नियुक्ति, अंकेक्षक के अधिकार, कर्तव्य एवं दायित्व।

7. **प्रबंधन**
अवधारणायें, प्रबंधन के परंपरागत एवं आधुनिक कार्य- नियोजन, संगठन, स्टाफिंग, निर्देशन, समन्वय, नियंत्रण, निर्णयन एवं संप्रेषण तथा पेशेवर प्रबंधन।

8. **सचिवीय पद्धति**
कंपनी सचिव की नियुक्ति, कंपनी सचिव के अधिकार, कर्तव्य एवं दायित्व, कंपनी सचिव की स्थिति। सभायें, प्रारूपण सूचना, कार्यावधि एवं कार्यवृत्त।

9. **व्यावसायिक गणित**
युगपत समीकरण, औसत, अनुपात, कमीशन, लाभ-हानि संधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज।

10. **वाणिज्य के विविध आयाम**
   1. उद्यमिता की प्रकृति, कार्य एवं महत्व,
   2. स्कंध विपणि के कार्य एवं महत्व,
   3. बहु-राष्ट्रीय कंपनियां एवं उनके कार्य,
   4. व्यवसायिक-वातावरण को प्रभावित करने वाले घटक,
   5. ई-कामर्स की विशेषतायें,
   6. व्यवसाय में कम्प्यूटर का अनुप्रयोग।

11. **कराधान**
   1. **मूल्य वर्द्धित कर** - सामान्य परिचय, विविध प्रावधान एवं मूल्य वर्द्धित कर की गणना।
   2. **केन्द्रीय विक्रय कर** - सामान्य परिचय, विविध प्रावधान, केन्द्रीय विकय कर की गणना।
   3. **प्रवेश कर** - सामान्य परिचय।

Paper - First
GENERAL STUDIES
Section - A : GENERAL STUDIES

1. **General Science and Environment**
Questions on general science and Environment will cover general appreciation and understanding of science including matters of every day observation and experience as may be expected of a well educated person who has not made a special study of any particular scientific discipline.

2. **Current Events of National & International Importance**
In current events knowledge of significant National and International leveling will be tested.

3. **History of India and Independent India**
In History, questions of general knowledge related to social, economic and political aspects will be asked. Also, there will be questions on Indian National Movement and Development of Independent India.

4. **(1) Geography of India**
There will be questions of general knowledge relating to Physical, social and economic geography. It will also include questions on Indian Agriculture and Natural resources. There will be questions pertaining to demography and census of India.
(2) General Geographical awareness of world.

5. **Indian Polity and Economy**
Political system and constitution of the country, Panchayati Raj, social system, economic development, elections, political parties, plans, industrial development, foreign trade and economic and financial institutions.

6. **Sports**
Important games and sports tournaments, Awards and personalities for M.P., India, Asia and World.

7. **General Mental Ability**
Numerical ability, reasoning, coding, data analysis and interpretation and analogy.

8. **Information and Communication Technology**
Questions pertaining to characteristics, uses, and terminologies such as website, online, search engine, e-mail, video mail, chatting, video conferencing, hacking, cracking, virus and cyber crime.

Section - B General Introduction of Madhya Pradesh

1. **Geography**
General Introduction of Madhya Pradesh, area, topography and structure, physical and geographic areas and climate.

2. **Natural Resources of Madhya Pradesh**
Mineral Wealth.
Forest Wealth and Wild Life.
Agriculture and Live stock, Regional distribution of crops, planned development of Agriculture, Green Revolution, Development of Live stock.
Water Resources - Development of Irrigation and Irrigation projects.

3. **Human Resources**
Population, Population Density, Urban and Rural population, Literacy and Labours.

4. **Energy Resources**
Questions will attempt to assess the general awareness of condidates about the conventional and non-conventional sources of energy and their uses in human life.

5. **Industries**
Attempt will be made to assess the general awareness of candidates about the types and size of industries and their impact on state economy.

6. **Environment**
Questions will be related to environment and its protection, pollution, natural climates and their impact on quality of human life.

7. **Planning and Evaluation**
Attempt will be to assess the general awareness of candidates about different aspect off five year plans till date, various programmes of urban and rural development, economic planning and its evaluation and status of Madhya Pradesh in the context of Country.

8. **Administrative Structure of Madhya Pradesh**
Questions will be related to general knowledge of candidates about administrative units - Division, District, Tehsil and Development-Blocks; their relationship and administrative structure.

9. **Rural and Urban Administrative Structure**
Questions will be pertaining to the general knowledge of candidate about organization and administrative structure of Pachayati Raj, Municipality and Municipal corporation.

10. **Games and Sports**
Attempt will be made to assess the awareness of candidates related to organization, management and facilities for different games and sports. The questions will also be related to different State awards, and personalities and contribution of Government and non Government agencies.

11. **Culture, Literature, Music, Dance, Arts and History of Madhya Pradesh**
1. Culture
The questions will be related to nature, types their salient features and impact on human life.
2. Literature
(1) Ancient - Kalidas, Bharthari, Bhavbhuti, Vanabhatta.
(2) Medieval - Keshav, Padmakar, Bhushan.
(3) Modern - Pandit Makhanlal Chaturvedi, Subhadra Kumari Chauhan, Gajanan Madhav Muktibodh, Balkrishna Sharma "Navin", Bhavani Prasad Mishra, Harishankar Parsai, Sharad Joshi, Mulla Ramoozi, Dr. Shiv-Mangal Singh, Suman and Nanddulare Vajpai
(4) Folk Literature / Dialects of Madhya Pradesh.
3. Music & Dance Tradition
(1) Music Tradition - Tansen, Ustad Allauddin Khan, Ustad Hafiz Ali Khan, Pandit Krishna Rao, Shankar Pandit, Rajabhaiya Poonchwale, Ustad Amir Khan, Kumar Gandharva, Maharaj Chakradhar Singh Pandit Kartik Ram.
(2) Dance tradition - Major styles of folk music, major folk dances.
4. Arts
Questions of general nature will be related to characteristics of Rock painting, folk panting, modern painting school and important painters. It will also have questions related to major folk and other theatres.
5. Major Scheduled Tribes
It will assess the general awareness of candidates related to names, characteristics, habitats, major fairs and festivals and cultural structure of major scheduled tribes. It

will also have questions related to different programmes of State Government for the upliftment of Scheduled Tribes.

6. **Programmes of State Government in the field of Culture**
The questions will attempt to assess general knowledge of the candidate related to literasy academics and institutions. The questions will also be related to different Music and Fine Arts Schools and Cultural festivals. There will be questions awards given by the state for the significant contribution in the filed of literature, music and fine arts.

7. **Archaeological Heritage**
The questions of general knowledge will be related to significance and characteristics of major historical, archaeological and tourist places.

8. **Historical perspective of Madhya Pradesh**
The questions will be related to creation of M.P. and important dynesties and rules of M.P., It will also have questions related to contribution of M.P. in freedom movement.

Paper - Second

Commerce

1. **Theoritical Accounting**
Nature, Objectives, Principles, Concept, Convention & limitation, Accounting Process.

2. **Practical Accounting**
Final Accounts with Adjustiments, Capital and Revenue Items, depreciation Reserves - Provisions and Funds.

3. **Partnership Accounts**
Partnership deed, Admission, Retirement, Death and dissolution.

4. **Company Accounts**
Issue, forfeiture and re-issue of shares, Issue of Right and Bonus Shares, Issue and Redemption of Debenture, Final Accounts, Analysis and Interpretation of Published Accounts.

5. **Cost Accounts**
Nature, objectives & importance, Elements of cost, Cost-sheets, Tenders, Reconciliation of cost and Financial Accounts.

6. **Auditing**
Nature, objects and importance; Audit Programme, Appointment of Auditor, Rights, Duties and Liabilities of an Auditor.

7. **Management**
Concepts - treditioanl & Modern Functions of Management : Planning, Organisation, Staffing, Direction, co-ordination & control, decision making , Communication Professional Management.

8. **Secretarial Practics**
Appointment of company secretary, Rights, duties and liabilities of company secretary, position of Campany Secretary Meetings- Drafting, Notice, Agenda & minutes.

9. **Commercial Maths.**
Simultaneous Equations, Calculation of Average, Ratio, Commission, Profit & Loss and Interest- Simple & Compound.

10. **Different Dimensions of Commerce**
(1) Entrepreneurship - Nature, Functions and importance.
(2) Stock exchange - Functions and Importance.
(3) Multi national companies & their functions.
(4) Factors affecting Business Environment.
(5) Characteristics of E-commerce.
(6) Application of Computers in business.

11. **Taxation**
1. Value Added Tax : General Introduction, Various Provisions & Computation of Value Added tax.
2. Central Sales Tax : General Introduction, Various Provisions and Computation of Central Sales Tax.
3. Entry Tax : General Introduction.